



राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135-2662253, 2662254

टैलीफैक्स : 0135-2662251, 2662257

E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या- 1759 /रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 देहरादून दिनांक 13 जुलाई, 2025

::आदेशः

मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 503 (एम0बी0) वर्ष 2025 शक्ति सिंह बर्थवाल बनाम राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिनांक 11 जुलाई, 2025 को पारित आदेश के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा एक स्पष्टता (Clarification) प्रार्थना-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है जिस पर दिनांक 14.07.2025 को पूर्वाह्न में सुनवाई होनी नियत हुई है।

अतः इस संबंध में आयोग की अधिसूचना (संशोधित) संख्या 1303/रा0नि0आ0अनु0-2/4324/2025 दिनांक 28 जून, 2025 में "निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि" हेतु विनिर्दिष्ट दिनांक 14.07.2025 को उम्मीदवारों हेतु निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही को अपराह्न 02.00 बजे तक स्थगित किया जाता है।

(सुशील कुमार)
राज्य निर्वाचन आयुक्त ।

संख्या 1759 /रा0नि0आ0-2/4324/2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
4. समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0), उत्तराखण्ड (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)।
5. श्री संजय भट्ट, अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की 25 प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(राहुल कुमार गोयल)
सचिव।